(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/बुरहानुपर/भू.रा./2017/1725 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–5–17 पारित द्वारा तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर प्रकरण कमांक 5/अ–70/2010–11.

1– आशाबाई पति स्व. विजयसिंह ठाकुर
2– सौरभ पिता स्व. विजयसिंह ठाकुर
3– सचिनसिंह उर्फ भवानी सिंह
पिता स्व. विजयसिंह ठाकुर
4– सुमितसिंह पिता स्व. विजयसिंह ठाकुर
5– शुभमसिंह पिता स्व. विजयसिंह ठाकुर
6– संजयसिंह पिता स्व रामनाथसिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम तुकईथड
तहसील खकनार जिला बुरहानुपर .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मणीकबाई उर्फ मानकबेन
पति स्व. परसराम पटेल
निवासी मोहल्ला राजपुरा
शहर व तहसील बुरहानपुर
द्वारा आम मुख्त्यार
उमेश पिता परसराम पटेल
निवासी राजपुरा, बुरहानपुर .....अनावेदिका

श्री जीतेन्द्र बुग्गीवाल, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उभय पक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के सम्बंध में प्रकरण प्रचलित होकर अपर कलेक्टर के न्यायालय तक प्रचलित रहा और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18–5–11 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा

प्रकरण कमांक 5/अ–70/2010–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–5–17 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 3–10–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों तथा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का लगभग 23–24 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, इसलिए संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जिस पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आदेश में केवल यह उल्लेख किया गया है कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, परन्तु आवेदन पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा में लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 23 वर्षों से कब्जा होना अभिवचन किया गया है, जिसे साक्ष्य से कब्जा होने के सम्बन्ध में सिद्ध करना है, मात्र अभिवचन के आधार पर प्रकरण समाप्त नहीं किया जा सकता है । यह आधार भी लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा यदि अन्तिम तर्क के समय यह पाता है कि अनावेदकगण का आवेदन पत्र दो वर्ष की परिधि में नहीं आता है तो वह आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु बिना साक्ष्य के प्रारम्भिक स्टेज पर प्रकरण निरस्त करना उचित नहीं है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की

कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं की गई है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि आवेदकगण द्वारा येन–केन–प्रकारेण विलम्ब करने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक पक्ष द्वारा पूर्व में भी व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2012 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1084–पीबीआर/13 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3–12–2015 को आदेश पारित कर आवेदक पक्ष की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण किया जा चुका है । अतः आवेदकगण द्वारा पुनः उन्हीं बिन्दुओं को उठाने का कोई औचित्य नहीं है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर